इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 259]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 12 मई 2011—वैशाख 22, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 12 मई, 2011

क्र. 1965-181-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 5 मई, 2011 को महामिहम राज्यपाल की अनुमित प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २२ सन् २०११

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) अधिनियम, २०११

[दिनांक ५ मई, २०११ को राज्यपाल की अनुमित प्राप्त हुई, अनुमित ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक 12 मई, २०११ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, २०१० को संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) अधिनियम,
२०११ है.

धारा ६ का संशोधन.

- २. मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, २०१० (क्रमांक २४ सन् २०१०) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ६ में, उपधारा (२) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात्:—
 - ''(२ क) अपील की सुनवाई के दौरान, यदि प्रथम अपील अधिकारी यह पाता है कि आवेदक द्वारा समस्त अपेक्षाओं की पूर्ति करने के बावजूद पदाभिहित अधिकारी द्वारा निश्चित की गई समय–सीमा के भीतर सेवा उपलब्ध नहीं कराई गई है, या यदि उसकी राय में पर्याप्त कारण समनुदेशित किए बिना आवेदन रद्द कर दिया गया है तो वह द्वितीय अपील प्राधिकारी को, पदाभिहित अधिकारी पर धारा ७ की उपधारा (१) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने हेतु निर्देश कर सकेगा.''.

धारा ७ का संशोधन.

- ३. मूल अधिनियम की धारा ७ में, उपधारा (४) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात्:—
 - ''(५) (क) यदि आवेदक उपधारा (१) या (२) के अधीन द्वितीय अपील प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति, यदि कोई हो, से संतुष्ट नहीं है तो वह इस संबंध में धारा ८ के अधीन राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी को आवेदन कर सकेगा
 - (ख) नामनिर्दिष्ट अधिकारी यथास्थिति, प्रथम अपील अधिकारी या पदाभिहित अधिकारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो पूर्व में अधिरोपित शास्ति, यदि कोई हो, को सिम्मिलित करते हुए ५००० रुपये तक हो सकेगी तथा संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकेगा :
 - परंतु नामनिर्दिष्ट अधिकारी, आदेश में वर्णित किए जाने वाले पर्याप्त तथा विशेष कारण से शास्ति अधिरोपित किए जाने के बजाय केवल अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकेगा.
 - (ग) इसके अितरिक्त यदि नामनिर्दिष्ट अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि द्वितीय अपील प्राधिकारी ने अपर्याप्त शास्ति अधिरोपित की है या कार्यवाही लंबित रखी है या ऐसी रीति में कार्य किया है जो इस अधिनियम के क्रियान्वयन में सहायक नहीं है, तो वह सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस पर ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो ५००० रुपये तक हो सकेगी तथा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकेगा :
 - परंतु नामनिर्दिष्ट अधिकारी, आदेश में वर्णित किए जाने वाले पर्याप्त तथा विशेष कारण से शास्ति अधिरोपित किए जाने के बजाय केवल अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकेगा.''.

४. मूल अधिनियम की धारा ८ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:---

धारा ८क का अंत:स्थापन.

''८-क. धारा ७ की उपधारा (५) के खण्ड (ग) के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित द्वितीय अपील प्राधिकारी उस आदेश की तारीख से ६० दिन की कालावधि के भीतर पुनर्विलोकन हेतु नामनिर्दिष्ट अधिकारी को आवेदन कर सकेगा. नामनिर्दिष्ट अधिकारी विहित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन का निराकरण करेगा:

नामनिर्दिष्ट अधिकारी के आदेश का पनर्विलोकन.

परंतु नामनिर्दिष्ट अधिकारी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उक्त आवेदन पर्याप्त कारण से समय पर नहीं दिया जा सका था तो ऐसे आवेदन को ६० दिन की उक्त कालाविध के अवसान हो जाने के पश्चात् भी ग्राह्य कर सकेगा.''.

भोपाल, दिनांक 12 मई 2011

क्र. 1966-181-इक्कीस-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 22, सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 22 of 2011.

THE MADHYA PRADESH LOK SEWAON KE PRADAN KI GUARANTEE (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2011.

[Received the assent of the Governor on the 5th May, 2011; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 12th May, 2011.

An Act to amend the Madhya Pradesh Lok Sewaon Ke Pradan Ki Guarantee Adhiniyam, 2010.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Lok Sewaon Ke Pradan Ki Guarantee St (Sanshodhan) Adhiniyam, 2011.

Short title.

2. In Section 6 of the Madhya Pradesh Lok Sewaon Ke Pradan Ki Guarantee Adhiniyam, 2010 (No. 24 of 2010) (hereinafter referred to as the Principal Act), after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely:—

Amendment of Section 6.

- "(2a) During the hearing of the appeal, if the first appeal officer finds that the service was not provided by the designated officer within the stipulated time limit despite the applicant having fulfilled all the requirements or if in his opinion the application has been rejected without assigning sufficient reasons, he may make a reference to the second appellate authority to impose a penalty on the designated officer under sub-section (1) of Section 7.".
- 3. In Section 7 of the Principal Act, after sub-section (4), the following new sub-section shall be added, namely:—

Amendment of Section 7.

"(5)(a) If the appellant is not satisfied with the penalty imposed, if any, by the Second

- Appellant Authority under sub-section (1) or (2), he may make an application in this regard to the Officer nominated by the State Government under Section 8.
- (b) The nominated officer may, after giving an opportunity of being heard to the First Appeal Officer or the Designated Officer, as the case may be, impose a penalty which may extend to 5000 rupees including the penalty earlier, imposed if any, and recommend disciplinary action against the officer concerned:
- Provided that the nominated officer may, for adequate and special reason to be mentioned in the order, instead of imposing a penalty, recommend desciplinary action only.
- (c) Further, if the nominated officer is satisfied that the Second Appellate Authority has imposed an inadequate penalty or has delayed proceedings or acted in a manner not conducive to the implementation of this Act, he may impose on him a penalty which may extend to 5000 rupees, after giving him an opportunity of being heard, and recommend disciplinary action against him:
- Provided that the nominated officer may, for adequate and special reason to be mentioned in the order, instead of imposing a penalty, recommend disciplinary action only.
- 4. After Section 8 of the Principal Act, the following section shall be inserted, namely:—
 - "8A. The Second Appellate Authority aggrieved by any order passed under clause (c) of sub-section (5) of Section 7, may make an application for review to the nominated officer within a period of 60 days from the date of that order. The nominated officer shall dispose of the application according to the prescribed procedure:
 - Provided that the nominated officer may entertain an application after the expiry of the said period of 60 days, if he is satisfied that the application could not be submitted in time for sufficient cause.".

Insertion of Section 8A.

Review of order of nominated officer.